न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/186

प्रियंका कंवर पत्नी प्रद्युमन सिंह जाति राजपूत निवासी खैराबाद तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा।

––रेस्पोडेन्ट

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 13.02.2025**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीनी अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादीनी के खाते व कब्जे काश्त की आराजी वाके माल ग्राम बुरनखेडी पटवार क्षेत्र गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में स्थित खाता संख्या नया 302 पुराना 287 के ख0 नं0 723 की रकबा 1.1400 हेक्टर किस्म माल द्वितीय, खसरा नंबर 724 की रकबा 0.5400 हैक्टर किस्म माल द्वितीय, खसरा नं0 726 की रकबा 0.2200 हैक्टर किस्म बीड कुल 3 किता रकबा 1.9000 हैक्टर स्थित उक्त कृषि भूमि में वादिनी का हक हिस्सा 5/18 कायम है। जिसकी वादिनी खातेदार कृषक है। जिसको काश्त कर फसल का लाभ लेती आ रही है। वादीनी का उक्त वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी वादी के खाते व कब्जे में चली आ रही है। नकल जमाबंदी साथ संलग्न है। वादग्रस्त आराजी पर किसान केडिट कार्ड बनवाने बैंक से उधार लेने में काफी कठिनाई का सामना करना पड रहा है। वादीनी जब भी किसी बैंक से उधार

लेने जाती है। रिजयूमेशन माफी पून्यार्थ का नोट लगा होने के कारण उधार देने से मना कर दिया जाता है। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया हैं कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजीयात में वादी को प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करे कि ग्राम बुरनखेडी की आराजी पर शांतीपूर्ण रूप से काश्त करते रहने दे। जिसमें किसी प्रकार से मदाखलत मदाहमत ना ही स्वयं करे, ना ही किसी प्रतिनिधि से करावे। वाद वादिया प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी तहसीलदार रामगंजमण्डी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा भू अभिलेख निरिक्षक खैराबाद से जवाब तैयार करवाकर अपना जवाब पेश किया गया।

3. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को वादिया की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2024 की जानकारी नहीं थी क्योंकि उसके अधिवक्ता ने आश्वस्त किया था कि वे अपीलांट को सूचित कर देंगे परन्तु उनके द्वारा अपीलांट को सूचित नही किया गया इसी कारण अपीलांट को जानकारी नहीं रही तत्पश्चात् दिनांक 02.08.2024 को अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क किया तब उनके द्वारा वाद खारिज होने की जानकारी दिये जाने पर दिनांक 02.08.2024 को उसकी प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करके दिनांक 05.08.2024 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील अंदर मियाद प्रस्तुत है। डिले कन्डोन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थीया द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी जानबूझकर नहीं की है जो सद्भाविक होने से क्षम्य योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि आदेश जैर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 88, 188 आरटी एक्ट 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट की शामलाती कृषि भूनि ग्राम बुरनखेडी पटवार क्षेत्र गोयन्दा तहसील रामगंजमण्डी में खाता संख्या नया 302 पुराना 287 में स्थित ख0नं0 723 की रकबा 1.1400 है० किस्म माल द्वितीय ख०न० 724 की रकबा 0.54 है किस्म माल द्वितीय, ख0नं0 726 की रकबा 0.2200 है० किस्म बीड कुल किता रकबा 1.900 है० स्थित है उक्त कृषि भूमि में अपीलांट का हक हिस्सा 5/18 कायम है जिसकी अपीलांट खातेदार कृषक है जिसको काश्त कर फसल का लाभ लेती आ रही है। अन्त में अपीलांट ने अनुतोष चाहा कि अपीलांट को उक्त सपंर्ण 1.900 है० भूमि में भू अभिलेख में उक्त आराजी में रिजयूमेशन माफी पून्यार्थ का नोट अंकित है उसे डिलीट कर निरस्त किया जाकर अपीलांट को अपना 5/18 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित फरमाया जावे एवं रेस्पो० अपीलांट के कब्जा काश्त में किसी प्रकार से मदाखलत मदाहमत ना ही स्वयं करे, ना ही किसी प्रतिनिधि से करावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.02.2024 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलांट के वाद को निरस्त कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नहीं फरमाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात को नजरअन्दाज कर निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के हिस्सा 5/18 तक की भूमि से रिज्यूमेशन माफी पून्यार्थ का नोट हटाया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने केवलमात्र सह खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने की वजह से वाद को खारिज किया है जबकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय भी सह खातेदारान को पक्षकार बनाकर वाद को गुणावगुण पर निर्णीत किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकियात कायम किये बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य हैं। अपीलांट द्वारा आदेश जैर अपील के संबंध में पूर्व में कोई अपील पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की डिक्री नहीं बनायी है। डिक्री बनाने के पश्चात उक्त डिक्री प्रस्तुत कर दी जायेगी। अपीलांट को उक्त निर्णय दिनांक 06.02.2024 की जानकारी नहीं थी क्योंकि उसके अधिवक्ता ने आश्वस्त किया था कि वे अपीलांट को सूचित कर देगें परन्तु उनके द्वारा अपीलांट को सूचित नहीं किया इसी कारण अपीलांट को जानकारी नही रही तत्पश्चात दिनांक 02.08.2024 को अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क किया तब उनके द्वारा वाद खारिज होने की जानकारी दिये जाने पर दिनांक 02.08.2024 को उसकी प्रमाणित नकल हेतु आवेदन करके दिनांक 05.08.2024 को नकल प्राप्त होने पर यह अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है। डिले कन्डोन हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र पेश है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 को अपास्त

किये जाने की कृपा करें और अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित की जावे कि सह खातेदारान को पक्षकार बनाये जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

7. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में वादग्रस्त आराजी के राजस्व अभिलेख में अंकित रिज्युमेशन माफी पुन्यार्थ के नोट को हटाये जाने का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त आराजी शामलाती खाते की भूमि है जिसमें वादिया केवल 5/18 हिस्से की खातेदार है तथा शेष भूमि अन्य सहखातेदारान के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वादग्रस्त भूमि के अन्य सहखातेदारान प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिन्हें प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। परन्तु वादिया अपीलांट द्वारा अन्य सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम नहीं किया गया। अतः पक्षकारान के कुसंयोजन के कारण वादिया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के अन्य सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किए जाने के कारण प्रश्नगत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। प्रश्नगत वाद स्वयं वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत किया गया है। वादीया अपीलांट को प्रश्नगत वाद के सम्बंध में प्रत्येक कार्यवाही की जानकारी प्रारंभ से ही रही है। इसके बावजूद भी वादीया अपीलांट की ओर से जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में झूठे व मनगढ़न्त कथन अंकित किए है। अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील अवधि बाधित होने से मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तोवजों एवं राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होता । हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस

पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादिया अपीलांट द्वारा वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी वाके ग्राम बुडनखेड़ी तहसील खेराबाद की खाता संख्या नया 302 पुराना 287 की खसरा नम्बर 723 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 724 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 726 रकबा 0.22 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1. 90 हैक्टेयर भूमि के राजस्व अभिलेख में रिज्युमेशन माफी पुन्यार्थ का नोट हटाया जाकर वादीनी को पूर्ण खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त भूमि वादीया अपीलांट प्रियंका कंवर, भेरूपुरी, रतनपुरी एवं लाडकंवर की सयुंक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी में वादीया प्रियंका कंवर का केवल 5/18 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 06.02.2024 में वादीया अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद में अन्य सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया है। वादग्रस्त आराजी वादीया अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः हमारे मत में वादीया अपीलांट की ओर से अन्य सहखातेदारान को प्रकरण में पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक था। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस तर्क से सहमत है कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर अधिकार होता है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार कायम किया जाकर उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक था। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण में वादीया अपीलांट द्वारा सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है अतः ऐसी स्थिति में स्वयं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10(2) में विहित प्रावधानों की पालना करते हुए वादीया अपीलांट को प्रकरण में प्रत्येक सहखातेदार को पक्षकार कायम करने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक था। सी.पी.सी. के आदेश 1 नियम 10(2) इस प्रकार है– "न्यायालय पक्षकारों का नाम काट सकेगा या जोड़ सकेगा–न्यायालय के किसी भी प्रक्रम में या तो दोनो पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनों पर जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, यह आदेश दे सकेगा कि वादी के रूप में या प्रतिवादी के रूप में अनुचित तौर पर संयोजित किसी भी पक्षकार का नाम काट दिया जए और किसी व्यक्ति का नाम जिसे वादी या प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया जाना चाहिए था या न्यायालय के सामने जिसकी उपस्थिति वाद में अन्तर्विलित सभी प्रश्नों का प्रभावी तौर पर और पूरी तरह न्यायनिर्णयन और निपटारा

करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाने की दृष्टि से आवश्यक हो, जोड़ दिया जाए।" चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने स्वयं अपने निर्णय दिनांक 06.02.2024 में प्रत्येक सहखातेदार का संयुक्त खातेदारी की भूमि में समान हक अधिकार माना है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के पूर्ण रूप से न्यायनिर्णयन हेतु न्यायहित में बिना किसी आवेदन के वादग्रस्त आराजी के सहखातेदारान को पक्षकार बनाये जाने का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक था तथा उन्हें साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में सहखातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया तथा वादीया अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत वाद को केवल पक्षकार कायम नहीं किए जाने के कारण खाारिज किए जाने का निर्णय पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में प्रकरण के न्यायनिर्णयन हेतु अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.02.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी के प्रत्येक सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार कायम करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 20.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब प्रेषित की जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 13.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा